

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आ दे श

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, सीकर व अन्य

बनाम्

सुखा राम व अन्य

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-2238/2019

आदेश दिनांक

05.12.2019

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

श्री वी.पी.माथुर, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण

श्री भानु प्रकाश वर्मा, अधिवक्ता वास्ते क्लेमेंट/प्रत्यर्थी संख्या 1

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण को सुना गया। आक्षेपित निर्णय व पंचाट का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किए जावे। क्लेमेंट/प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से योग्य अधिवक्ता श्री भानु प्रकाश वर्मा ने उपस्थित होकर नोटिस स्वीकार किए उन्हें अपील ज्ञापन की प्रति उपलब्ध कराने हेतु अधिवक्ता अपीलार्थीगण को निर्देशित किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.पी.माथुर का यह कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 निगम का चालक है, जो कि औपचारिक पक्षकार है। अतः उसकी तामील से उन्मुक्ति प्रदान की जावे। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के उक्त कथन को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थीगण की जोखिम पर प्रत्यर्थी संख्या 2 की तामील **dispense with** की जाती है।

अधीनस्थ अधिकरण का अभिलेख तलब किया जावे।

इस दौरान अपीलार्थीगण निगम द्वारा यदि एक माह की अवधि में विशिष्ट न्यायाधीश प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी गबन प्रकरण एवं मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जयपुर जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व पंचाट दिनांक 27.02.2019 की सम्पूर्ण राशि न्यायाधिकरण में जमा करा दी जाती है तो आगामी आदेश तक आक्षेपित निर्णय व पंचाट की क्रियान्विति/निष्पादन की कार्यवाही

स्थगित रहेगी।

अपीलार्थीगण निगम द्वारा उपरोक्तानुसार राशि जमा करा दिए जाने पर क्लेमेंट/प्रत्यर्थी संख्या 1 उक्त राशि में से 75% राशि आहरित कर सकेगा बशर्ते कि वह न्यायाधिकरण की संतुष्टि की इस आशय की सशपथ 'Undertaking' प्रस्तुत कर दे कि यदि इस अपील का निर्णय उसके विरुद्ध हो जाता है तो वह आहरित की गई राशि व उस पर आहरण की तिथि से अदायगी तिथि तक 6% वार्षिक दर से ब्याज, अपीलार्थीगण निगम को लौटा देगा। शेष 25% राशि किसी राष्ट्रीकृत बैंक में दो वर्ष की अवधि के लिए FDR's के रूप में निवेश की जावे एवं आवश्यकता होने पर उनका समय समय पर नवीनीकरण करवाया जावे।

एमसीएस
M-2

(न्या.प्रकाश गुप्ता)



सत्यमेव जयते